सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1. राधेश्याम पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा (राज.)।

............**प्रार्थी**

बनाम्

1. प्यारचन्द पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. उदयलाल पि/0 पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
3. मांगीलाल पि/0 नाथुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
4. भगवानलाल पिता प्रभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.......**विपक्षीगण**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.राजस्व अधिनियम</u>

उपरोक्त अनवानित प्रकरण मे राधेश्याम पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा (राज.) का होकर निम्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन करता हुं कि :–

1. यह कि मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 33** पर अंकित **आराजी संख्या 148 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,आराजी सख्या 156 रकबा 0.0890 है0 व आराजी सख्या 167 रकबा 0.2023 है0 भूमि मेरे नाम पर सामलाती** खातेदारी हक अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, उपरोक्त आराजीयात मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं भुगतभोग में चली आ रही है तथा लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा हूं।
2. यह कि विपक्षीगण उक्त आराजीयात के पड़ौसी हैं एवं काश्त करने में कम ज्यादा बुआई में सीमाओं को लेकर असमन्जस व विवाद की स्थिति बनी रहती हैं एवं रास्ते का विवाद उत्पन्न करते रहते हैं इस कारण प्रार्थी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी बसामलात विपक्षी के करवाना चाहते है ताकि

राधेश्याम

Scanned with CamScanner

भविष्य में सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे एवं शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें।

3. यह कि उक्त आराजीयात विवादग्रस्त नहीं है उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नहीं है एवं न ही किसी न्यायालय से स्थगन है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है।
4. यह कि उक्त प्रार्थना–पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ–पत्र पेश है जो कि प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।
5. यह कि उक्त आराजियात न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षैत्र मे होने से श्रीमान के समक्ष वांछित न्यायालय शुल्क पर मय नकल के साथ प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 33** पर अंकित **आराजी संख्या 148 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,आराजी सख्या 156 रकबा 0.0890 है0 व आराजी सख्या 167 रकबा 0.2023 है0 भूमि मेरे नाम की** आराजीयात की पत्थरगढ़ी बसामलात विपक्षीगण किये जाने हेतु तहसीलदार बिजौलियां के नाम पर आदेश प्रदान फरमावें। राधेश्याम

दिनांक : 05/01/2023
बिजौलियाँ

TLC

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 03/23 तारीख दायर 20/02/23

1. राधेश्याम पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजोलियां भीलवाड़ा (राज.)।

............प्रार्थी

बनाम्

1. प्यारचन्द पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. उदयलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
3. मांगीलाल पिता नाथुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
4. भगवानलाल पिता प्रभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.......**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 21/02/23

प्रार्थना पत्र ने जरिये अभिभाषक श्री **अनिल कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 33** पर अंकित **आराजी संख्या 148 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,आराजी सख्या 156 रकबा 0.0890 है0 व आराजी सख्या 167 रकबा 0.2023 है0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 33** पर अंकित **आराजी संख्या 148 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,आराजी सख्या 156 रकबा 0.0890 है0 व आराजी सख्या 167 रकबा 0.2023 है0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा))

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 03/23
~~दायर~~

प्रेषिति :–

तारीख दायर
20/02/23

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 03/23 पत्थरगढ़ी बाबत्।

राधेश्याम पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा (राज.)।

............**प्रार्थी**

बनाम्

1. प्यारचन्द पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. उदयलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
3. मांगीलाल पिता नाथुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
4. भगवानलाल पिता प्रभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.......**विपक्षीगण**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 33** पर अंकित **आराजी संख्या 148 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,आराजी सख्या 156 रकबा 0.0890 है0 व आराजी सख्या 167 रकबा 0.2023 है0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। विपक्षीगण एवं पडोसी को वक्त पत्थरगढी मोके पर उपस्थित रहने बाबत सुचना दी जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned with CamScanner